12/3/15 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष/ वास्ते आगामी तारीख दिनांक 28/4/15 रखे जावे।

28/4/15 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष/ वास्ते आगामी तारीख दिनांक 9/6/15 रखे जावे।

3/6/15. पत्रावली आज लोक अदालत मा. पं. कोलूखेड़ी अधिष्ठान में पेश हुई। इसी आशय से संबंधित एक आवेदन धारा 53 से पक्षकारों की आपसी सहमति से निराकरण करने बाबत प्राप्त कर दाखिल किया गया है। पक्षकार उपस्थित बाबत सहमत है कि जब तक खाते का निराकरण नहीं होता कोई भी पक्ष किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेंगे। तदनुसार दावे का निर्णय किया जाता है। पत्रावली फोरक्लोज हुआ है।

3105
9-6-15

सचिव
मा. कोलूखेड़ी मारिशान
मनोहरथाना, जि. झालावाड़

अध्यक्ष
लोक अदालत
(झालावाड़)
मनोहरथाना (झालावाड़)

26/6/15